न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 353/2016/डिक्री

1. नानुराम पिता देवा कीर
2. मोहन पिता देवा कीर
3. मथरालाल पिता देवा कीर
4. रोडीबाई पुत्री देवा कीर
5. भग्गुलाल पिता गोपीलाल कीर
6. लक्ष्मण पिता गोपीलाल कीर
7. सीताबाई पुत्री गोपीलाल कीर

सभी निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. भूरा पिता मोती कीर
2. अमृतलाल पिता रामलाल कीर
3. ईश्वरलाल पिता रामलाल कीर
4. केसरबाई पुत्री रामलाल कीर
5. शांतिबाई पुत्री रामलाल कीर
6. नाथीबाई पुत्री रामलाल कीर
7. मांगू पिता माणा कीर
8. कालू पिता उदा कीर
9. मथरीबाई पुत्री माणा कीर
10. गंगाबाई पुत्री माणा कीर
11. सीताबाई पुत्री माणा कीर
12. ऊंकारलाल पिता चैना कीर
13. म्गनीराम पिता चैना कीर
14. वरदीचन्द पिता चैना कीर
15. जमनीबाई पुत्री भंवरलाल कीर
16. नक्षत्रमल पिता भंवरलाल कीर
17. जगदीश पिता भंवरलाल कीर
18. बंशीलाल पिता भेरा कीर

सभी निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

19. राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 26.07.2016 प्रकरण सं. 187/2013

उपस्थित – 1. श्री राकेशपुरी गोस्वामी – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री संजय मौड – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 से 16

निर्णय दिनांक– 11.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलान्ट ने दावा अधीनस्थ न्यायालय मे घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व अन्तर्गत धारा 209 के तहत एक मुकदमा पेश किया था जो प्रतिवादी रेस्पोडेन्टस के खिलाफ था, इस दावे मे जो उल्लेखित किया कि मौजा नपावली की आराजी नम्बर 570, 571, 595, 609, 610, 617, 625, 624, 631, 623/1042, 627/1043 627/1045 की कुल किता 13 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा और आराजी नम्बर 622 रकबा 8 बिस्वा आ.चा. यह आराजीयात दल्लाजी पिता नन्दाजी कीर के जमाने से चली आ रही है। दल्लाजी की मृत्यु हो चुकी है। दल्लाजी की विरासत से नामान्तकरण उनके पुत्र देवा के नाम पर खुला, देवा की मृत्यु हो चुकी है। देवा के पुत्र गोपीलाल की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिस लक्ष्मण, सीता, भग्गुलाल और देवा के वारिस दीगर अपीलान्ट है। यह वादीगणो की पैतृक सम्पत्तिहै। इसमे वादीगण अपीलान्ट का जन्म सिद्ध अधिकार है। रेस्पोडेन्ट ने गलत तरीके से जमीन अपने नाम कर कराली है। इसलिये यह जमीन अपीलान्ट की खातेदारी मे दर्ज की जावे। दावे के दौरान उदाजी की मृत्यु हो गई थी। उसका वारिस कालू नाबालिग संरक्षक माता कला बाई बेवा उदा कीर का नाम जोडा जावे। इसी संदर्भ मे पत्रावली जेरेकार थी और दिनांक 28/12/2015 को एक आवेदन धारा 11 का पेश किया गया जिसके जवाब मे पत्रावली जेरेकार थी। दिनांक 24/06/2016 को नपावली कैम्प मे यह प्रार्थना पत्र प्रतिवादी की तरफ धारा 11 सीपीसी के तहत पेश किया गया और बगैर जवाब का मौका दिये, नपावली कैम्प मे खारीज कर दिया जिसकी डिक्री दिनांक 26/07/2016 को बनाई, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2. उक्त प्रकरण मे पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के आवेदन पत्र पर बगैर वादी को सुनवाई का अवसर दिये, लोक अदालत केम्प मे प्रार्थना पत्र सुन कर धारा 11 जा0दी0 के तहत रेसज्युडिकेटा मानकर वादी का दावा खारीज कर दिया व जो निर्णय दिया व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली निर्णित करने के पूर्व वादी अपीलान्ट को कोई सूचना पत्र जारी नही किया बगैर सुनवाई का विधिवत अवसर दिए वादी का दावा खारीज कर अपने अधिकारो का दुरूपयोग किया है। आवेदन आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 पर बगैर आदेश पारित किये मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय देकर कानूनी गलती की है। अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जाने का आदेश प्रदार करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्टस ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 28/12/2015 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था जिसका जवाब प्रतिपक्ष से आकर निर्णित होना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही दिनांक 24/06/2016 को पत्रावली कैम्प कोर्ट मे निर्णित कर दी गई। इस प्रकरण मे बेचाननामे को लेकर सिविल न्यायाधीश मण्डपिया के न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन था। कैम्प कोर्ट मे धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ उसी दिन प्रकरण को निर्णित कर दिया गया, जबकि राजस्व शिविरो मे निर्णय आपसी समझौते एवं राजीनामे के आधार पर होते है। ऐसे प्रकरण जिसमे दोनो पक्ष सहमत न हो निर्णित नही किया जा सकता है। सिविल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28/01/2016 को बयनामा निरस्त करने से सम्बन्धित वाद खारीज कर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समान पक्षकारान एवं समान भूमि का प्रकरण सिविल न्यायालय मे विचाराधीन होने के कारण धारा 11 सीपीसी के तहत ड्रोप किया गया है। सिविल न्यायाधीश न्यायालय मे निर्णय हो चुका है जिसकी अपील अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निम्बाहेडा मे विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्टस खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निर्णित किये बिना ही लोक अदालत मे धारा 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण ड्रोप कर दिया गया। लोक अदालतो मे ऐसे विधिक बिन्दूओ के आधार पर न्यायिक प्रकरणो का निर्णय करना न्यायोचित नही है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 187/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26/07/2016 को अपास्त किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट इस आदेश के साथ स्वीकार की जाती है कि मौजा नपावली की आराजी नम्बर 570, 571,

595, 609, 610, 617, 625, 624, 631, 623/1042, 627/1043 627/1045 की कुल किता 13 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा और आराजी नम्बर 622 रकबा 8 बिस्वा आराजीयात जो दल्लाजी पिता नन्दाजी कीर के जमाने से चली आ रही है। दल्लाजी की मृत्यु हो चुकी है। दल्लाजी की विरासत से नामान्तकरण उनके पुत्र देवा के नाम पर खुला, देवा की मृत्यु हो चुकी है। देवा के पुत्र गोपीलाल की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिस लक्ष्मण, सीता, भग्गुलाल और देवा के वारिस दीगर अपीलान्ट है। यह वादीगणो'/अपीलान्ट की पैतृक सम्पत्ति है। इसमे वादीगण/अपीलान्ट का जन्म सिद्ध अधिकार है। रेस्पोडेन्टस ने उक्त भूमि गलत तरीके से अपने नाम कर कराली है इसलिये उपरोक्त आराजियात की खातेदारी अपीलान्ट के हक मे दर्ज की जावे। दावे के विचारण के दौरान दौरान उदाजी की मृत्यु हो गई है ऐसी सूरत मे उसके वारिस कालू नाबालिग संरक्षक माता कला बाई बेवा उदा कीर का नाम बतौर खातेदार जोडा जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़